

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 17, मंगलवार, शके 1947- जुलाई 08, 2025 Asadha 17, Tuesday, Saka 1947- July 08, 2025	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) जोधपुर
अधिसूचना

जोधपुर, जून 16, 2025

D.320 : भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) राराविप्रनिलि, जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयंत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **132 केवी एकल परिपथीय ट्रांसमिशन लाइन 132 केवी जीएसएस सुमेरपुर से 132 केवी जीएसएस सांडेराव से (132 केवी जीएसएस सांडेराव के लिए) होकर गुजरना हेतु मार्ग-अधिकार अथार्त राइट आफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करते हैं।** उक्त एकल परिपथ लाईन निम्नलिखित गांवों की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्र. सं.	गांवों के नाम	क्र. सं.	गांवों के नाम	क्र. सं.	गांवों के नाम
1	सांडेराव	8	दुजाना	15	जाखोरा
2	आकदरा	9	सिंदरू	16	कोलिवारा
3	खांगड़ी	10	खिंदारा गांव	17	जाखानगर
4	बांगड़ी	11	रोजरा	18	पुरारा
5	देवतरा	12	नेतरा	19	सुमेरपुर
6	बिरामी	13	खिवांदी		
7	बिरामी की ढाणी	14	पोमावा		

मनीष अथैया

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) जोधपुर